संख्या-48 /2020/646/24-1-20-81 पी/2015

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,

विद्युत सुरक्षा निदेशालय,

विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 17 अप्रैल, 2020**

विषय:विद्युत सुरक्षा निदेशालय को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिष्ठांन कार्यों के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 31,03,25,000/- (रूपये इकत्तीस करोड़ तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) संलग्नक के अनुसार व्यय करने हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)उपरोक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2003 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों के लिए धनराशि का तत्काल आवंटन कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) आय-व्ययक को आकस्मिक मदों में व्यय एवं वस्तुओं को क्रय करते समय उ0प्र0 स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी आदेशों का पालन विशेष ध्यान रख कर किया जायेगा।

(3) मद संख्या-46 में स्वीकृत धनराशि निदेशालय द्वारा ऊर्जा विभाग का अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-103-संग्रहण प्रभार- विद्युत शुल्क-03- विद्वुत सुरक्षा निदेशालय" के नामे डाला जायेग।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

संख्या-48/2020/646(1)/24-1-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://snasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-48 /2020/646/24-1-20-81 पी/2015, दिनांक 17 अप्रैल, 2020 का संलग्नक

लेखाशीर्ष एवं मद का नाम	वर्ष 2020-21 के लिए आय-व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-03-विद्युत सुरक्षा निदेशालय"	
01- वेतन	20,57,00,000/-
02- मजदूरी	2,00,000/-
03- महंगाई भत्ता	5,14,25,000/-
04- यात्रा व्यय	25,00,000/-
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,00,000/-
06- अन्य भत्ते	1,00,000/-
07- मानदेय	1,00,000/-
08- कार्यालय व्यय	25,00,000/-
09- विद्युत देय	20,00,000/-
10- जलकर/जल प्रभार	10,00,000/-
11- लेखन सामाग्री और फार्मों की छपाई	15,00,000/-
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20,00,000/-
13- टेलीफोन व्यय	15,00,000/-
15- गांडियों का अनुक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	35,00,000/-
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000/-
17- किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	59,00,000/-
18- प्रकाशन	1,00,000/-
26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	2,00,000/-
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000/-
45- अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000/-
46- कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफटवेयर का क्रय	50,00,000/-
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	20,00,000/-
49- चिकित्सा व्यय	20,00,000/-
51- वर्दी व्यय	1,00,000/-
55- मकान भत्ता	1,44,00,000/-
56- नगर प्रतिकर भत्ता	17,00,000/-
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	40,00,000/-
योग-	**31,03,25,000/-**

(रूपये इकत्तीस करोड़ तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in